

उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार **संसदीय चुनाव** के बाद **57 ज़िलों में साइबर पुलिस स्टेशन** स्थापित करेगी, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये 25 पद होंगे।

मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर **साइबर अपराध** की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 ज़िलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है।
 - जबकि 18 मंडलों में साइबर स्टेशन पहले से ही चालू हैं, शेष 57 ज़िलों को भी लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे स्टेशन मिलेंगे।
- इन स्टेशनों को अंतिम रूप **आदर्श आचार संहिता (MCC)** हटने और आम चुनाव के समापन के बाद दिया जाएगा।

आदर्श आचार संहिता (MCC)

- MCC एक **सर्वसम्मत दस्तावेज़** है। राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं।
- यह चुनाव आयोग को संविधान के **अनुच्छेद 324** के तहत दिये गए **जनादेश को ध्यान में रखते हुए मदद करता** है, जो उसे संसद और राज्य विधानमंडलों के लिये **सुवर्तंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों** की नगिरानी एवं संचालन करने की शक्ति देता है।
- MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक चालू रहता** है।
- संहिता **लागू रहने के दौरान सरकार किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती**, सड़कों या अन्य सुविधाओं के निर्माण का वादा नहीं कर सकती और न ही सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नयिकृति कर सकती है।
- MCC की प्रवर्तनीयता:**
 - हालाँकि **MCC के पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं** है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इसके सख्त कार्यान्वयन के कारण पछिले दशक में इसे ताकत मिली है।
 - MCC के कुछ प्रावधानों को **भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951** जैसे अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों को लागू करके लागू किया जा सकता है।

साइबर अपराध

- साइबर अपराध को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ **कंप्यूटर अपराध का माध्यम होता है या अपराध करने के लिये एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है**।
 - भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची** के अनुसार साइबर अपराध राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
- इसमें अवैध या अनधिकृत गतिविधियाँ शामिल हैं जो **वभिन्न प्रकार के अपराध करने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती हैं**।
- साइबर अपराध में अपराधों की एक वस्तुतः शृंखला शामिल है, यह व्यक्तियों, संगठनों के साथ-साथ सरकारों को भी प्रभावित कर सकता है।